

**भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन**

**राज्य सरकार के वित्त**

**31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**उत्तर प्रदेश सरकार**  
**प्रतिवेदन संख्या : 1 वर्ष 2012-13**

# अनुक्रमणिका

|  | प्रस्तार | पृष्ठ संख्या |
|--|----------|--------------|
| प्राक्कथन  |          | v            |
| कार्यकारी सार  |          | vii          |
| <b>अध्याय 1</b><br><b>राज्य सरकार के वित्त</b>                     |          |              |
| उत्तर प्रदेश का परिदृश्य   | -        | 1            |
| प्रस्तावना   | 1.1      | 1            |
| वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन—देनों का सारांश                       | 1.2      | 2            |
| राजकोषीय सुधार   | 1.3      | 4            |
| बजट वर्ष 2011-12   | 1.4      | 6            |
| राज्य के संसाधन  | 1.5      | 8            |
| राजस्व प्राप्तियाँ   | 1.6      | 12           |
| संसाधनों के अनुप्रयोग  | 1.7      | 19           |
| व्ययों की गुणवत्ता   | 1.8      | 29           |
| राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण | 1.9      | 33           |
| परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें  | 1.10     | 37           |
| ऋण संवहनीयता   | 1.11     | 40           |
| राजकोषीय असंतुलन   | 1.12     | 43           |
| निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ   | 1.13     | 46           |
| <b>अध्याय 2</b><br><b>वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>       |          |              |
| प्रस्तावना   | 2.1      | 49           |
| विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण                                   | 2.2      | 49           |
| वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन                              | 2.3      | 50           |
| चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम                                | 2.4      | 56           |
| बजट अनुमानों का तैयार किया जाना                                    | 2.5      | 59           |
| ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय, आवंटन, व्यय एवं उसके परिणाम     | 2.6      | 61           |
| निष्कर्ष   | 2.7      | 65           |
| संस्तुतियाँ  | 2.8      | 65           |

| अध्याय 3<br>वित्तीय रिपोर्टिंग  |      |    |
|---|------|----|
| उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब   | 3.1  | 67 |
| विस्तृत आकस्मिक बिल   | 3.2  | 68 |
| स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा / लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना  | 3.3  | 68 |
| विभागीय वाणिज्यिक / अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम  | 3.4  | 69 |
| दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि  | 3.5  | 69 |
| लघु लेखा शीर्ष-800 के अन्तर्गत 'अन्य राजस्व प्राप्तियाँ' एवं 'अन्य व्यय' का दर्शाया जाना  | 3.6  | 70 |
| धनराशियों को केन्द्रीय सङ्क निधि में हस्तांतरण न किया जाना  | 3.7  | 71 |
| नगद अवशेषों में भिन्नता   | 3.8  | 71 |
| व्यक्तिगत जमा लेखाओं में धनराशियों का अन्तरण  | 3.9  | 71 |
| व्यय के आँकड़ों का मिलान  | 3.10 | 72 |
| निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ  | 3.11 | 73 |
| परिशिष्ट  |      |    |
| <b>परिशिष्ट 1.1</b> प्रदेश का परिदृश्य  |      | 75 |
| <b>परिशिष्ट 1.2</b> भाग—क : सरकारी लेखे का रूप एवं ढांचा  |      | 76 |
| भाग—ख वित्त लेखे का प्रारूप   |      | 76 |
| <b>परिशिष्ट 1.3</b> वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार  |      | 78 |
| <b>परिशिष्ट 1.4</b> वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की बजट अनुमान से तुलना  |      | 83 |
| <b>परिशिष्ट 1.5</b> राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े  |      | 84 |
| <b>परिशिष्ट 1.6</b> (अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए  |      | 87 |
| (ब) करेतर राजस्व वर्ष 2007-12 के लिए  |      | 87 |
| <b>परिशिष्ट 1.7</b> अपरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं का विवरण   |      | 88 |
| <b>परिशिष्ट 1.8</b> अवशेष लेखापरीक्षा प्रस्तरों का विवरण  |      | 89 |
| <b>परिशिष्ट 1.9</b> 31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार   |      | 90 |
| <b>परिशिष्ट 2.1</b> अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी |      | 91 |
| <b>परिशिष्ट 2.2</b> अनुदान / विनियोग, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था     |      | 95 |
| <b>परिशिष्ट 2.3</b> विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक हुए व्यय के विनियमितीकरण की आवश्यकता   |      | 96 |

|                      |  |     |
|----------------------|--|-----|
| <b>परिशिष्ट 2.4</b>  | प्रकरण, जिनमें पूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए                               | 97  |
| <b>परिशिष्ट 2.5</b>  | अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए                | 99  |
| <b>परिशिष्ट 2.6</b>  | निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग  | 100 |
| <b>परिशिष्ट 2.7</b>  | वर्ष 2011-12 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण   | 105 |
| <b>परिशिष्ट 2.8</b>  | वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)   | 111 |
| <b>परिशिष्ट 2.9</b>  | अनुदानों/विनियोगों का विवरण, जिनमें बचत हुई परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया                              | 112 |
| <b>परिशिष्ट 2.10</b> | अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण  | 114 |
| <b>परिशिष्ट 2.11</b> | वेतन एवं भत्तों के लिए अपरिशुद्ध बजट अनुमान  | 117 |
| <b>परिशिष्ट 2.12</b> | वेतन के अतिरिक्त अपरिशुद्ध बजट प्रावकलन  | 118 |
| <b>परिशिष्ट 2.13</b> | राजस्व प्राप्तियों का अपरिशुद्ध अनुमान   | 119 |
| <b>परिशिष्ट 2.14</b> | व्यय का निष्कर्ष   | 120 |
| <b>परिशिष्ट 2.15</b> | ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में मुख्य संकेतक का स्थान   | 121 |
| <b>परिशिष्ट 3.1</b>  | 31 मार्च 2012 को अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र   | 122 |
| <b>परिशिष्ट 3.2</b>  | स्वायत्त निकाय संस्थाओं द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का विवरण  | 124 |
| <b>परिशिष्ट 3.3</b>  | विभागीय वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण                           | 125 |
| <b>परिशिष्ट 3.4</b>  | दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का ब्यौरा (जिसमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2012 तक लम्बित थी)         | 126 |
| <b>परिशिष्ट 3.5</b>  | चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 127 |
| <b>परिशिष्ट 3.6</b>  | वर्ष 2011-12 में विभागवार निस्तारित/अपलिखित किए गए प्रकरणों का विवरण   | 128 |
| <b>परिशिष्ट 4</b>    | <b>शब्दावली (अतिरिक्त आंकड़े)</b>  |     |
|                      | गणना का आधार   | 129 |
|                      | पदों की व्याख्या   | 130 |
|                      | प्रथमाक्षरी  | 132 |